

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले.प.) झारखण्ड, राँची

का.आ.सं.प्रशा.(ले.प.)-पेंशन-11-2020- 145

दिनांक: 18.12.2020

कार्यालय आदेश


विषय: दिनांक 29.12.2020 को पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) का कार्यालय झारखण्ड, राँची से सेवानिवृत्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हेतु इस कार्यालय में Video Conferencing द्वारा पेंशन अदालत 2020 का आयोजन दिनांक 29.12.2020(मंगलवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे से संध्या 01.00 बजे तक किया जायेगा।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधित शिकायतें यदि कोई है तो नीचे दिये गये वर्णित जानकारी, इमेल agaujharkhand@cag.gov.in पर दिनांक 24.12.2020 तक निष्पादन हेतु भेज सकते हैं या प्रशासन अनुभाग को लिखित रूप में जमा कर सकते हैं।

आवश्यक जानकारी का विवरण

क्रम सं.	विषय	पेंशनर द्वारा भरे जाने वाले विवरण
1	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय)	
2	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख	
3	पी.पी.ओ.संख्या	
4	पत्राचार का पता	
5	Whatsapp No./Mobile No.	
6	शिकायत का विवरण	
7	दिनांक सहित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर	


18.12.2020
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन